ARYAVART SHODH VIKAS PATRIKA
RNI TITLED NO. UPBBIL04292
RNI REG. NO. UPBIL/2014/66218 PP. NO.- 305-306

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-13, No.-I, Issues-16, YEAR- June -2020

महादलित की अवधारणा

प्रमोद कुमार
शोध अध्येता –राजनीतिशास्त्र विभाग, मगध विश्वविद्यालय, बोध गया (बिहार), भारत

Received- 19.07.2020, Revised- 21.07.2020, Accepted - 23.07.2020 E-mail: dr.ramnyadav@gmail.com

सारांश : *दलित शब्द पूर्व में उपयोग में लाए गए अस्पृश्य, अछूत, 'हरिजन' आदि शब्दों का पर्यायवाची शब्द बन गया है । यह देश के 16.33: जनता के बारे में संबोधन है जिन्हें पूर्व में और आज भी घृणा और तिरस्कार का शिकार बनाया गया है । इस समाज को कहीं खाने को भरपेट भेजन नहीं मिलता है तो कहीं घरों में चुल्हा भी नहीं जलता है । दलित समाज आज भी वर्ण व्यवस्था का शिकार है ।*

कुंजीभूत शब्द– दलित, ,उपयोग, अस्पृश्य, अछूत, पर्यायवाची, जनता, संबोधन, घृणा, तिरस्कार, शिकार ।

बिहार का दलित समुदाय भारत के दलित समुदाय ही कई छोटे–बड़े समूहों में बंटा है । ब्रिटिश शासन में इन्हें अनुसूचित जाति के रूप में वर्णित किया गया था । बिहार के दलित 18 उपजातियों या समूहों में बंटे हैं । विडमबना तो यह है कि करीब 1 करोड़ की दलित आबादी 18 उपजातियों में बंटकर रह गयी है जिससे संयुक्त रूप में कार्ययोजना बनाना संघर्षशील होना आदि नामुमकिन है। इतना ही नहीं, इनमें भी जो संख्या में ज्यादा है वे दूसरों को जो संख्या में कम है, उनकी संवेदना को नजरअंदाज कर देते हैं।

महादलित की अवधारणा– बिहार की नीतीश सरकार ने सितम्बर 2008 में महादलित आयोग का गठन किया। जिसमें अनुसूचित जाति वर्ग के 22 जातियों में से 22 को महादलित घोषित किया गया। केवल एक दुसाध जाति को दलित जाति में रखा गया है। बिहार सरकार का मानना है कि अनुसूचित जातियों में दुसाध जाति का सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक विकास अधिक हुआ है। इसलिए इस जाति की तरह ही अन्य अनुसूचित जातियों का विकास भी आवश्यक है । इस बात को ध्यान में रखते हुए बिहार सरकार ने अनुसूचित जातियों को दो श्रेणी में विभक्त किया है:– 1. दलित और 2. महादलित ।

महादलित जातियों में निम्नलिखित जातियों को सम्मिलित किया गया है –

1. धोबी 2. पासी 3. मुसहर 4. डोम 5. नट 6. रजवार 7. पान 8. भुईया 9. चौपाल 10. टुन 11. कुरियार 12. दबगर 13. हलालखोर 14. दौन 15.कंजर 16. घोसी 17. लालवेगी 18. भूमिज 19. मोक्टा 20. वैतार 21. चमार 22. बनपर।

बाद में दुसाध जाति को भी महादलित में सम्मिलित कर लिया गय ।

बिहार का महादलित आयोग पर विवाद छिड़ा हुआ है । अनुसूचित जातियों के राष्ट्रीय आयोग ने बिहार सरकार द्वारा बनाए गए महादलित आयोग को असंवैधानिक करार दिया है। एनसीएससी का तर्क है कि आरक्षण के लिए अवर्गीकृत करने का अधिकार राज्य के पास नहीं है। आयोग ने इस मामले में बिहार सरकार के एकतरफा निर्णय कर आपत्ति जताई। आयोग की सदस्य सत्या बहन ने कहा कि बिहार में अनुसूचित जातियों के लिए राज्य आयोग नहीं है (एससीएससी) नहीं है। राज्य–राज्य अनुसूचित जातियों के भलाई के लिए काम करना चाहता है तो इसे एससीएससी करना चाहिए। अनुसूचित जातियों की श्रेणी में से ही मौजूद कुछ जातियों को हटाकर कैसे एक आयोग की स्थापना की जा सकती है। एनसीएससी राज्य सरकार के कदम को असंवैधिक मानती है।

विधान सभाध्यक्ष उदय नारायण चौधरी ने कहा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महादलित आयोग का गठन कर बाबा साहेब भीम राव अम्बेडकर के सपनों को साकार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आयोग का गठन संविधान के साथ छेड़छाड़ नहीं है। उन्होंने अनुसूचित जातियों के राष्ट्रीय आयोग से महादलित आयोग गठन को असंवैधानिक घोषित करने के निर्णय पर पुनर्विचार का अनुरोध किया है।

विधान सभाध्यक्ष ने महादलित आयोग के सदस्य बब्बन रावत व जदयू विधायक भारमार कनौजिया की उपस्थिति में अपने आवास पर प्रेस कान्फ्रेंस में कहा कि महादलित आयोग का गठन दलितों को बाँटने के लिए नहीं बल्कि समाज के अंतिम पायदान पर खड़े अभिवंचित लोगों के आर्थिक व सामाजिक विकास के लिए है। उन्होंने कहा कि संविधान निर्माण के दौरान ही अम्बेदकर ने ऐसे लोगों को मुख्य धारा में लाने का प्रावधान किया था। यह आजादी के 60 वर्षो के बाद भी नहीं हो सका है। मुख्यमंत्री ने महादलितों

अनुरूपी लेखक

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-13, No.-I, Issues-16, YEAR- June -2020

के उत्थान के लिए 400 करोड़ का प्रावधान भी किया है जो कुछ लोगों को पच नहीं रहा है । उन्होंने कहा कि इसके फैसले का आगामी चुनाव पर असर पड़ना स्वाभाविक है । आखिर आज भी जब लोग सिर पर मैला ढोने का काम कर रहे हैं तो किस प्रकार कहा जा सकता है कि मुख्यधारा से अलग–थलग बड़े लोगों के लिए विशेष प्रावधान की जरूरत नहीं है । उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को भ्रम नहीं होना चाहिए कि बिहार सरकार ने दलितों के आरक्षण के प्रावधान में छेड़छाड़ किया है । वह ऐसा कर भी नहीं सकती है। दलित वर्ग से किसी को हटाने का अधिकार राज्य सरकार को नहीं है । महादलित आयोग के सदस्य बबन रावत ने कहा कि महादलितों का सर्वे कराया जा रहा है। दलितों की आबादी 1.20 करोड़ है जिसमें 50 लाख महादलित है। महादलित आयोग का गठन 28 अगस्त, 2007 को हुआ था। ज्ञातव्य है कि आयोग ने नवम्बर, 2007 में पहला व अप्रैल 2008 में दुसरा प्रतिवेदन सरकार को समर्पित किया।

महादलित विकास मंच के केन्द्रीय अध्यक्ष बब्बन रावत व प्रदेश अध्यक्ष राजेन्द्र प्रसाद नट जो राज्य महादलित आयोग के सदस्य हैं, ने आरोप लगाया है कि महादलितों की एकमता को तोड़ने की साजिश की जा रही है तथा इसमें विदेशी पैसे का उपयोग हो रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महादलितों के समेकित विकास के लिए ठोस प्रयास किया है। इसके तहत विभिन्न योजनाओं के लिए करीब तीन सौ करोड़ रूपये का प्रावधान किया है। जो 2010 तक खर्च होने हैं । इसमें सर पर मैला ढोने की प्रथा समाप्त करने के लिए 4.20 करोड़, दशरथ माँझी श्रमिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना के लिए 34.10 करोड़ धनवन्तरी मोबाईल आयुर्वेदिक चिकित्सा के लिए 3.50 करोड़, मुख्यमंत्री जीवन दृष्टि कार्यक्रम के लिए 35.85 करोड़, महादलित पोशाक योजना के लिए 17.50 करोड़ नारी ज्योति कार्यक्रम के तहत 3.20 करोड़, सामुदायिक भवन सह वर्क शेड के लिए 40 करोड़, विशेष विद्यालय के लिए 14.50 करोड़ शौचालय के लिए 15 करोड़, जलापूर्ति के लिए 1.50 करोड़, रेडियो के लिए 2 करोड़, जनवितरण प्रणाली के तहत 24.32 करोड़ और विकास मित्र के लिए 33.60 करोड़ का प्रावधान किया गया है । महादलितों के सर्वेक्षण के बाद इन क्रियाओं का क्रियान्वयन तेजी के साथ प्रारंभ हो जायेगा ।

बिहार की दलित राजनीति में दुसाध, रविदास, पासी और धेबी जाति का वर्चस्व रहा है । दलित समुदाय से आने वाली इन जातियों को छोड़कर अन्य दलित जातियाँ राजनीति के हाशिए पर ही रही है । शिक्षा–दीक्षा के मामले में आज भी महादलित हाशिए पर हैं। इन जातियों के इक्के–दुक्के प्रतिनिधि ही विधानसभा, लोकसभा अथवा राज्यसभा और विधान परिषद में दिखाई पड़ते हैं। राज्य ही बड़ी पार्टियों, छोटी दलित जातियों को कम ही टिकट देती है। हालांकि एक जमाने में इनका प्रतिनिधित्व भी दिखाई पड़ता था पर अब बड़ी आबादी वाली दलित जातियों की पूछ अधिक होती है।

1952 से 2004 के लोकसभा चुनाव तक महादलित समुदायों के लोकसभा में प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों को अंगुली पर गिना जा सकता है। चुनावों के आरंभिक दौर में जगलाल चौधरी और जगजीवन राम दलितों के नेता बन कर उभरे। कराई मुसहर, भोला राउत, तुल मोहन राम, भोला माँझी, रामधनी दास, नयनतारा दास, भगवतिया देवी, मिश्री सदा जैसे अनेक नेता लोकसभा के लिए चुने गए। ऋषिदेवों की टोली विधानसभा में हमेशा से मौजूद रही है। काँग्रेस सहित अन्य दलों ने तब छोटी जातियों के प्रतिनिधित्व का ख्याल रखा था। राम विलाश पासवान, उनके पुत्र लोक सभा के सदस्य बने हुए हैं। राजनीति में सामाजिक बदलाव की भारी चर्चा के बावजूद इन जातियों के प्रतिनिधि लोकसभा में नहीं पहुँच पाते हैं। दबंग जातियों का दबदबा साफ दिखाई पड़ता है।

बिहार की वर्तमान सरकार ने पंचायती राज व्यवस्था के तीनों स्तर पर महिलाओं के लिए 50: स्थान सुरक्षित करके उन्हें राजनीति में प्रवेश करने का सुअवसर प्रदान किया है। आरक्षण का लाभ महादलित जाति की महिलाओं को भी प्राप्त हुआ है । इतना ही नहीं आज महादलित जाति की महिलायें पंचायती राज व्यवस्था में आरक्षण के प्रावधान के कारण ही राजनीति रूप से सक्रिय हुई है, परन्तु यह सक्रियता शिक्षित महिलाओं में अशिक्षित महिलाओं की तुलना में अधिक है।

बिहार के जिलेवार आँकड़े लिए जाएं तो दलित समुदाय कहीं बड़ी तादाद में और कहीं कम संख्या में निवास करता है। गया में 29.58: दलित आबादी है जबकि किशनगंज जैसे जिले में मात्र 6.62: है। एक और प्रमुख बात यह है कि यद्यपि बिहार का दलित समाज 18 उपजातियों में बँटा है फिर भी रविदास (29.86:), दुसाध (26.34:), मुसहर (13.42:), मुइया (7.87:), धोबी (5.47:) और पासी (4.69:) में चार उपजातियाँ मिलकर करीब 88: हिस्सा ले लेती है । शेष 12: आबादी 17 उपजातियों में बंटी है। एक ओर रविदास समूह सबसे ज्यादा 30: आबादी का हकदार है तो दूसरी ओर भूमिज और कंजर जैसी उपजातियों की आबादी मात्र 4 हजार है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. दैनिक जागरण, पटना, अक्टूबर, 2008
2. पुरूषोत्तम जोस कलापुरा, बिहार के नट,जीने की बाजीगरी, 2012.
3. डॉ0 जी0के0 अग्रवाल : भारतीय सामाजिक संस्थाएं

*****